न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 23/2017

दायरा दिनांक : 23.03.2017

श्रीमती सरबती पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट

बनाम

1. ईशर पुत्र रतना जाति नायक निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़, राजस्थान
2. राजस्थान–सरकार जरिये भू–प्रतिनिधी तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
3. सरपंच, ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा–75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित–
1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03

:: निर्णय ::

दिनांक :19.10.2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 57/62 के किला नं. 19–20 की 0.506 है0, किला न 21/1 की 0.228, किला न. 22/1 में 0.227, किला न. 23/1 में 0.228 कुल 1.189 है0 आराजी राज भूमि का नामांतरण संख्या 322 दिनांक 13.06.2016 रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से खातेदार दर्ज कर दिया। जबकि उक्त रकबा शुद्व आराजीराज नहीं था, क्योंकि यह भूमि दिनांक 16.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा चक 4 डीडब्ल्यूएम की आबादी हेतु ग्राम पंचायत बीरमाना को उनसे नियमानुसार राजकीय कोष में तहसीलदार सूरतगढ़ की मार्फत आरक्षित दर से राशि जमा करवाये जाने के पश्चात आवंटित की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में बिना रिकार्ड एवं मौका देखे ही उक्त आदेश पारित कर दिया। जैर अपील भूमि पर आबादी बसी हुई है। मौका पर खेती करने वाले निर्धन मजूदर व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा खडवजां की सडके बनाई है और विद्युत पोल लगे हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को दरकिनार कर जेर अपील इंतकाल संख्या 322 दिनांक 13.06.2016 स्वीकृत कर दिया, जिसे निरस्त करने की प्रार्थना पत्र की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा हाजिर आये। शेष रेस्पोडेंटगण बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पक्षकार नहीं था। अपीलांट जैर अपील आदेश से सीधे सीधे व्यथित है एवं प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपील पेश करने की कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करे। ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद ... अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। अपील... प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई प्रतिशपथ पत्र ग्राम पंचायत के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। ... प्रकरण तकनीकी आधारों के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण पर ... जाना युक्तियुक्त एवं ... है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील में गुणावगुण पर बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अपीलांट अपील मीमों के तथ्यों को दौहराया तथा निवेदन किया ईशर पुत्र रतना को चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 157/62 के किला नं. 16 में 1.00 बीघा, 10 ता 11 में 2.00 बीघा, 19 ता 25 में 6.10 बीघा व पत्थर नं. 157/39 किला नम्बर 1, 2, 10, 11 में 4.00 बीघा, किला न. 3 ता 9 में 7.00 बीघा, किला न. 12 ता 25 में 14.00 बीघा इस प्रकार कुल 34.10 बीघा (29.10 बीघा अनकमाण्ड एवं 5.00 बीघा कमाण्ड) कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ईशर पुत्र रतना के नाम से दिनांक 15.10.1982 को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित की गई। मौका पर आबाद ना होने व किश्तें जमा ना कराने पर सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा उपरोक्त आवंटन दिनांक 26.03.1992 को निरस्त कर उक्त भूमि को रकबाराज घोषित किया गया। रकबाराज भूमि होने पर सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. प. नं. 157/39 किला नं. 2 व 9 की 0.506 है0 भूमि गैरमुमकिन हड्डा रोडी प. नं. 157/62 किला नं. 11 व 16 गैरमुमकिन आबादी किला नं. 12 में 0.253 है0 रणजीत पुत्र दिलसुख को आवंटन कर दिया एवं किला नं. 24–25 उच्च प्राथमिक विद्यालय व दिनांक 16.04.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में 2013 में चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नं. 157/62 किला नं. 19–20 की 0.506 है0, 21/1 ता 23/1 की कुल 1.189 है0 भूमि आराजीराज भूमि ग्राम पंचायत बीरमाना को चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. की आबादी विस्तार हेतु आवंटित कर दी गई। इस भूमि में मौका पर खेती करने वाले निर्धन मजूदर व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये। इसी आबादी भूमि में आंगन बाडी केन्द्र के नाम से भी पट्टा जारी किया हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने पुख्ता आवंटन को बहाल करवाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश कर सही तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 27.4.2016 को रकबा बहाली का आदेश प्राप्त कर लिये तथा पुख्ता आवंटन के आधार पर दिनांक 03.06.2016 को खातेदारी आदेश प्राप्त कर लिये। उक्त खातेदारी आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील इंतकाल संख्या 322 दिनांक 13.06.2016 स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 01 के आवंटन बहाली आदेश तथा खातेदारी आदेश को निरस्त करवाने बाबत माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील संख्या 15/2017 ब अनवान मीरा बनाम ईशर आदि, अपील संख्या 16/2017 ब अनवान सरस्वती बनाम ईशर व अपील संख्या 29/2017 ब अनवान सरबती बनाम ईशर दायर की गई थी। माननीय न्यायालय ने उक्त अपीलों का निर्णय दिनांक 28.11.2018 को पारित करते हुए आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ का रकबा बहाली आदेश 27.4.2016 व खातेदारी आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त कर दिया। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश में तहसील सूरतगढ़ के चक 4 डीडब्लयूएम के कुल 34.10 बीघा रकबा के बहाली आदेश निरस्त किये गये हैं, जिसमें पत्थर न. 157/62 किला न. 19, 20 की 0.506 है, किला न. 21/1 में 0.228 है0, 22/2 में 0. 227 है0, किला न. 23 में 0.228 है0 कुल 1.189 है0 ग्राम पंचायत बीरमाना को ग्राम 4 डीडब्ल्यूएम की आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी जिसमें से कुछ भाग का अपीलांट को रिहायश हेतु पट्टा जारी किया गया है, की भूमि शामिल है। अतः माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश के संदर्भ में अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अधिवक्ता अपीलांट के कथनों का समर्थन कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस को सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावलियों का बहस के परिपेक्ष्य में गहन अध्ययन व मनन उपरान्त पाया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 28.11.2018 द्वारा ईशर पुत्र रतना को आवंटित 34.10 बीघा रकबा का बहाली आदेश दिनांक 27.4.2016 व खातेदारी आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त किया जा चुका है जिसमें जैर अपील रकबा 1.189 है0 किस्म अनकमाण्ड़ रकबा भी शामिल है। अतः उक्त आदेश के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील इंतकाल संख्या 322 दिनांक 13.06.2016 भी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजियासर का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 322 दिनांक 13.06.2016 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:05:48 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner